

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या—11 / नवीं / माप्लान(आ०क्षे०)–19 / 2016..... ३९९ नवीं एवं
आ०वीं, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा—९ सह—पठित बिहार
शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम—९ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए बिहार सरकार, एतद्वारा गया शहर एवं उसके आस पास के क्षेत्रों को समेकित एवं
सुव्यवस्थित रूप से विकसित करने के उद्देश्य से, अगले बीस वर्षों अवधि इससे विस्तारित अवधि
के लिए महायोजना तैयार करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित आयोजना क्षेत्र घोषित करती है, जिसे
“गया आयोजना क्षेत्र” कहा जायेगा। इसकी स्थानीय सीमाएं निम्नवत् हैं : –

उत्तर— पूर्वी भाग में मानपुर सी०डी० ब्लॉक के ननौक, खेदपुरा, गया सी०डी० ब्लॉक के
सियारमुखा, मसनदबिगहा, मंदनबिगहा, बेलागंज सी०डी० ब्लॉक के आलम बिगहा,
कचनपुर अग्थू से होते हुए पश्चिम में गोबराहा तक।

दक्षिण— पूर्वी भाग में मानपुर सी०डी० ब्लॉक के सोहाईपुर, बोधगया सी०डी० ब्लॉक के लारपुर,
मानपुर सी०डी० ब्लॉक के भदेजा, भदेजी, गया नगर निगम सीमा के दक्षिणी भाग से
होते हुए बोधगया सी०डी० ब्लॉक के खरन्ती कचनपुर, सीजुआ से होते हुए भैया बिगहा,
नौदीहा, परहन्दा, अन्तीया से होते हुए पश्चिम में तीरखा, सोभा बिगहा, गुरी तक।

पूरब— उत्तरी भाग में मानपुर सी०डी० ब्लॉक के नौधरीया, दूधैला, बेरेवा से होते हुए बारा,
ननहक चक, लोदीपुर, हारली, गौरा, ब्रूहगेरे, बैजल तेतरीया, मसोथा खुर्द से होते हुए
दक्षिण में वंदहुवा तक।

पश्चिम— उत्तरी भाग में वैलागंज सी०डी० ब्लॉक के लक्ष्मीपुर, गया सी०डी० ब्लॉक के छतरघाट,
केरस्ल धर्मपुर, चुरी, परैया सी०डी० ब्लॉक के परनपुर, कास्था, गया सी०डी० ब्लॉक के
औरावान, मंदनबिगहा, परैया सी०डी० ब्लॉक के मोहनपुर, इनारपुर, बोधगया सी०डी०
ब्लॉक के जमारी, बारावान, भुसिया, दीरावन, परसा कलन, ईलासा, शेखा बिगहा से होते
हुए दक्षिण में बजराहा तक।

गया आयोजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल—308.31 वर्ग कि०मी० है, जिसमें 50.17 वर्ग
कि०मी० शहरी क्षेत्र एवं शेष 258.14 वर्ग कि०मी० ग्रामीण क्षेत्र है। इसमें एक शहरी प्रशासनिक
इकाई गया नगर निगम एवं गया टाउन सी०डी० ब्लॉक के 77 राजस्व ग्राम, बेलागंज सी०डी०
ब्लॉक के 8 राजस्व ग्राम, मानपुर सी.डी.ब्लॉक के 49 राजस्व ग्राम, परैया सी.डी. ब्लॉक के 04
राजस्व ग्राम एवं बोधगया सी.डी. ब्लॉक के 24 राजस्व ग्राम सहित कुल 162 राजस्व ग्राम शामिल
है।

इस आयोजना क्षेत्र का नक्शा अनुसूची—I के रूप में, आयोजना क्षेत्र के अधीन शहरी
प्रशासनिक इकाई एवं राजस्व ग्रामों का विवरण अनुसूची—II के रूप में एवं आयोजना क्षेत्र के
अधीन शहरी प्रशासनिक इकाई तथा राजस्व ग्रामों के नाम एवं आबादी का विवरणी अनुसूची—III
के रूप में इस अधिसूचना के साथ संलग्न है।

विकास योजनाओं की तैयारी के दौरान प्रशासनिक इकाईयों एवं आयोजना क्षेत्र के
क्षेत्रफल में उपांतरण एवं फेरबदल की संभावना को ध्यान में रखते हुए, आयोजना क्षेत्र के कुल
क्षेत्रफल में दस प्रतिशत तक उपांतरण एवं फेरबदल, आयोजना क्षेत्र के उपांत क्षेत्र की घोषणा,
आयोजना प्राधिकार के गठन, विकास योजना की अवधि के अवधारण एवं अन्य नियमानुकूल
कार्रवाई के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।

2. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

१२/५/२०१८

(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

(175)

ज्ञापांक -11 / न०वि० / मा०प्लान(आ०क्षे०)-19/2016. 399 / न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक- 18/5/17
प्रतिलिपि -अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना / ई-गजट कोषांग वित्त विभाग, पटना
(सी०डी० के साथ) को बिहार गजट में अतिरिक्त प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं अनुसेध है कि
प्रकाशित गजट के 200 कॉपी कार्यालय उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाए।

17/5/2017

प्रधान सचिव,

ज्ञापांक -11 / न०वि० / मा०प्लान(आ०क्षे०)-19/2016. 399 / न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक- 18/5/17
प्रतिलिपि -मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड
के सदस्य / प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध / जिलाधिकारी गया / नगर आयुक्त, नगर निगम,
गया / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, न०वि० एवं आ०वि० / सभी संबंधित क्षेत्र
के अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

17/5/2017

प्रधान सचिव,

(174)

Government of Bihar
Urban Development & Housing Department

NOTIFICATION

No - 11 / नोटिंग / मान्यता (आवृत्ति) - 19 / 2016 ^{यो} UD&HD, in exercise of the powers conferred by Section-9 of the Bihar Urban Planning and Development Act, 2012 read with Rule-9 of the Bihar Urban Planning and Development Rules, 2014, the Government of Bihar is hereby, with the objective of integrated and planned development of Gaya Town and important areas surrounding it, to prepare Master Plan of Gaya for a period of 20 years or more, declares the following planning area, to be known as "Gaya Planning Area". Its local boundaries are as follows -

- North - In the Eastern part from Nanauk, Khedarpura of Manpur CD Block, Siarbhuka, Masnad Bigha of Gaya CD Block, Alam Bigha, Kachanpur Agthu of Belaganj CD Block upto Gobraha in the Western part.
- South - In the Eastern part from Sohaipur of Manpur CD Block, Larpur of Bodhgaya CD Block, Bhadeja, Bhadeji of Manpur CD Block, southern boundary of Gaya Nagar Nigam, Kharanti, Kachanpur, Sijua, Bhaiya Bigha, Naudiha, Parhanda, Antiya of Bodhgaya CD Block upto Tirkha, Sobha Bigha, Guri in the western part.
- East - In the Northern part from Naudharia, Dudhela, Berewa, Bara, Nanhak Chak, Lodipur, Harli, Gaura, Burhgere, Baijal Tetariya, Masuatha Khurd of Manpur CD Block upto Bandhuwa in the Southern part.
- West - In the Northern part from Lachhmipur of Belaganj CD Block, Chatarghat, Kesru Dharampur, Churi of Gaya CD Block, Paranpur, Kastha of Paraiya CD Block, Aurawan, Mandan Bigha of Gaya CD Block, Mohanpur, Inarpur of Paraiya CD Block, Jamari, Barawan, Bhusia, Dirawan, Parsa Kaian, Ilara, Shekha Bigha of Bodhgaya CD Block upto Bajraha in the Southern part.

The total area of Gaya Planning Area is 308.31sq.km, in which 50.17sq.km is urban area and the rest 258.14sq.km is rural area. It includes one urban administrative unit - Gaya Municipal Corporation and a total of 162 revenue villages including 77 revenue villages of Gaya Town Block, 8 revenue villages of Belaganj Block, 49 revenue villages of Manpur CD Block, 4 revenue villages of Paraiya Block, 24 revenue villages of Bodhgaya Block and within the Planning Area.

Map of this Planning Area as Appendix-I, List of Administrative Units and Revenue Villages as Appendix-II, names and population details of Urban Administrative Unit and Revenue Villages falling under this Planning Area as Appendix-III are appended to this notification.

Keeping in view the probability of modification and changes in the area of administrative units and planning area during preparation of the development plan, the Urban Development and Housing Department shall be the competent authority to modify and change the area upto ten percent of the total area of this planning area, declaration of peripheral area to this planning area, constitution of planning authority, determination of period of development plan and other lawful action.

2. This notification shall come into force at once.

By the order of Governor,

(Signature)
17/5/2017

(Chaitanya Prasad)
Principal Secretary
Urban Development and Housing Department

(173)

Memo No. -11 / नोटिंग / मान्यता(आवश्यक) - 19 / 2016. *YCD* / UD&HD/Patna, dated 18/5/17
Copy to -Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbag, Patna, E-Gazette Cell,
Finance Department, Patna, Bihar with CD for publication in an extra ordinary
issue of the Bihar Gazette.
He is requested to make available 200 copies of published Gazette for official use
immediately.

SL
17/5/2017

Principal Secretary

Memo No. -11 / नोटिंग / मान्यता(आवश्यक) - 19 / 2016. *YCD* / UD&HD/Patna, dated 18/5/17
Copy to -Chief Secretary Bihar/ Development Commissioner Bihar/Members of the Bihar
Urban Planning and Development Board/ Divisional Commissioner, Magadh/
District Magistrate, Gaya/ Municipal Commissioner, Municipal Corporation
Gaya/ P.S Hon'ble Minister, UD&HD/ Circle officers of the concerned area for
kind information and necessary action.

SL
17/5/2017

Principal Secretary

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

मंत्रिपरिषद के लिए संलेख

गोपनीय

मुख्यमंत्री

विषय— “गया आयोजना क्षेत्र” की घोषणा की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

गया, जिला मुख्यालय के साथ मगध प्रण्डल का प्रशासनिक मुख्यालय शहर है। यह ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थल है। गया शहर एवं उसके आस पास के क्षेत्रों को समेकित एवं सुव्यवस्थित रूप से विकसित करने के उद्देश्य से अगले बीस वर्षों अथवा इससे विस्तारित अवधि के लिए महायोजना तैयार करने के प्रयोजनार्थ बिहार आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-9 एवं बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-9 के आलोक में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड के परामर्श से राज्य द्वारा आयोजना क्षेत्र की घोषणा किया जाना है, जिसे “गया आयोजना क्षेत्र” कहा जा सकेगा।

2. गया आयोजना क्षेत्र के सीमांकन का प्रारम्भिक प्रारूप, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के आलोक में, तैयार किया गया एवं इसके प्रारूप पर आमजनों एवं हितधारकों से जिलाधिकारी द्वारा सुझाव एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित किया गया। वर्णित दिशा निर्देश के अनुपालन में जिलाधिकारी गया द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को आयोजना क्षेत्र का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया, जिसपर दिनांक- 24.01.2017 को बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की पंचम बैठक में विचारोपरान्त सहमति प्रदान की गयी।

3. गया आयोजना क्षेत्र का क्षेत्रफल 308.31 वर्ग किमी² है, जिसमें शहरी क्षेत्र का क्षेत्रफल 50.17 वर्ग किमी² एवं शेष ग्रामीण क्षेत्र का क्षेत्रफल 258.14 वर्ग किमी² है। इस आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत एक शहरी प्रशासनिक इकाई गया नगर निगम एवं गया टाउन सीडी० ब्लॉक के 77, बेलांगंज सीडी० ब्लॉक के 8, मानपुर सी.डी.ब्लॉक के 49, परेया सी.डी. ब्लॉक के 04 एवं बोधगया सी.डी. ब्लॉक के 24 राजस्व ग्राम सहित कुल 162 राजस्व ग्राम शामिल है। इस आयोजना क्षेत्र की चौहांदी निम्न है -

उत्तर – पूर्वी भाग में मानपुर सी०डी० ब्लॉक के ननौक, खेदरपुरा, गया सी०डी० ब्लॉक के सियारभुखा, मसनदबिगहा, मंदनबिगहा, बेलांगंज सी०डी० ब्लॉक के आलम बिगहा, कवनपुर अगथू से होते हुए पश्चिम में गोबराहा तक।

दक्षिण – पूर्वी भाग में मानपुर सी०डी० ब्लॉक के सोहाईपुर, बोधगया सी०डी० ब्लॉक के लारपुर, मानपुर सी०डी० ब्लॉक के भदेजा, भदेजी, गया नगर निगम सीमा के दक्षिणी भाग से होते हुए बोधगया सी०डी० ब्लॉक के खरन्ती कचनपुर, सीजुआ से होते हुए भैया बिगहा, नौदीहा, परहन्दा, अन्नीया से होते हुए पश्चिम में तीरखा, सोभा बिगहा, गुरी तक।

पूरब – उत्तरी भाग में मानपुर सी०डी० ब्लॉक के नौधरीया, दूधैला, बेरेवा से होते हुए बारा, ननहक चक, लोदीपुर, हारली, गौरा, ब्रूहगेरे, बैजल तेतरीया, मसौथा खुर्द से होते हुए दक्षिण में वंदहुवा तक।

पश्चिम – उत्तरी भाग में वेलांगंज सी०डी० ब्लॉक के लक्ष्मीपुर, गया सी०डी० ब्लॉक के छतरघाट, केस्रु धर्मपुर, चुरी, परेया सी०डी० ब्लॉक के परनपुर, कास्था, गया सी०डी० ब्लॉक के औरावान, मंदनबिगहा, परेया सी०डी० ब्लॉक के मोहनपुर, बोधगया सी०डी०

ब्लॉक के जमारी, बारावान, भुसिया, दीरावन, परसा कलन, ईलारा, शेखा बिगहा से होते हुए दक्षिण में बजराहा तक।

4. इस आयोजना क्षेत्र का नक्शा अनुसूची-I, आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई एवं राजस्व ग्रामों का विवरण अनुसूची-II, आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई तथा राजस्व ग्रामों के नाम एवं आबादी का विवरणी अनुसूची-III के रूप में संलग्न है।
5. आयोजना क्षेत्र की घोषणा के पश्चात् बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के तहत् आयोजना प्राधिकार का गठन एवं आयोजना क्षेत्र का विकास योजना (मास्टर प्लान) तैयार किया जाएगा।
6. विकास योजना की तैयारी के दौरान प्रशासनिक इकाईयों एवं आयोजना क्षेत्र के क्षेत्रफल में उपांतरण एवं फेरबदल की संभावना को ध्यान में रखते हुए आयोजना क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल में दस प्रतिशत तक उपांतरण एवं फेरबदल, आयोजना क्षेत्र के उपान्त क्षेत्र की घोषणा, आयोजना प्राधिकार के गठन, विकास योजना की अवधि के निर्धारण एवं अन्य नियमानुकूल कारबाई के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।
7. प्रस्ताव है कि कंडिका-3 से 6 में वर्णित तथ्यों के आलोक में गया आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाय।
8. इस आयोजना क्षेत्र की सीमांकन एवं घोषणा पर बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति प्राप्त है।
9. प्रारूप पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
10. अधिसूचना प्रारूप पर विधि विभाग की सहमति प्राप्त है।
11. प्रारूप पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
12. उपरोक्त कंडिका-7 में निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

9/5/2018
(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव।

नगर विकास एवं आवास विभाग।


ज्ञापांक -11/नवि०/मा०प्लान(आ०क्षे०)-19/2016. ३२२ न०वि० एवं आ०वि० पटना, दिनांक- 11/5/2018,
प्रतिलिपि-संलेख की 45 अतिरिक्त प्रतियों के साथ मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक की कार्यावली में
शामिल करने हेतु मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारबाई हेतु
प्रेषित।

9/5/2018
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

374-I

TO JEHANABAD DISTRICT

Belaganj



GAYA PLANNING AREA

15B

KEY MAP

LEGEND

- ADMINISTRATIVE BOUNDARIES
- BLOCK BOUNDARY
- GAYA MUNICIPAL BOUNDARY
- GAYA PLANNING AREA BOUNDARY
- REGIONAL CONNECTIVITY
- NATIONAL HIGHWAY
- STATE HIGHWAY
- RAILWAY TRACK
- RIVER FALGU
- RIVER BHAGIRATHI
- RIVER KARANPUR
- RIVER DUDHNA
- RIVER BHUALPUR
- RIVER BUTHOLE
- RIVER NARANGA
- RIVER BHADA
- RIVER SANDA
- RIVER BANDHUA
- RIVER LARUPUR
- RIVER DALGUC
- RIVER NAILI
- RIVER HARIO DUBHALI
- RIVER CHAROWARI
- RIVER KHURAR
- RIVER BHAUSA
- RIVER NAWAN
- RIVER PARAHANDA
- RIVER ANTIYA
- RIVER TIRKHAJ

Brief Profile:-

Nagar Niwas Area : 50.17 sq.km

Total Planning area: 308.33 sq.km

Total Population: 797078

(as per Census 2011)


Urban administrative Unit: 1

Revenue Villages: 162

GAYA PLANNING AREA

SCALE 1:90,000

Prepared By:-
Town and Country Planning Organisation
UD&HD, Bihar



अनुधृती - II

गया आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई एवं राजस्व ग्रामों का विवरण

SLNO.	C.D. BLOCKS	NO. OF REVENUE VILLAGES	RURAL AREA (IN SQ KM)	NO. OF URBAN ADMINISTRATIVE UNITS	URBAN AREA (IN SQKM)	TOTAL AREA (IN SQ KM)
1	Gaya Town	77	131.43	1	50.17	181.6
2	Belaganj	8	13.68	0	0	13.68
3	Manpur	49	72.47	0	0	72.47
4	Paraiya	4	5.4	0	0	5.4
5	Bodhgaya	24	35.16	0	0	35.16
TOTAL		162	258.14	1	50.17	308.31

अनुभवी - III

गया आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई एवं राजस्व ग्रामों की सूची

Sl.n o.	CD Block	Census Village code	Town/Village	Population 2001	Population 2011	Area (in Sq.Km.)
1	Gaya town	4350200	Gaya (M Corp)	206498	474093	50.170

BELAGANJ (8 VILLAGES) AREA SHARE =13.68 SQKM.

2	Belaganj	4002400	Alam Bigha	317	432	0.506
3	Belaganj	3992500	Lachhpur	5016	5577	4.360
4	Belaganj	3992800	Barhai Bigha	659	939	0.874
5	Belaganj	3992700	Shahmohammadpur	491	663	0.651
6	Belaganj	4001700	Rewara	1494	2155	0.365
7	Belaganj	3992600	Tikuli	1038	1500	0.467
8	Belaganj	3992900	Gobraha	2041	2992	2.815
9	Belaganj	4001600	Kachanpur Agthu	5235	6508	3.645

MANPUR (49 VILLAGES) AREA SHARE =72.47 SQ.KM.

10	Manpur	4030800	Gere	3401	4812	5.591
11	Manpur	4030600	Pathalghatta	647	949	0.249
12	Manpur	4030700	Gangti	3114	4339	1.936
13	Manpur	4030500	Sadipur	2555	3586	3.494
14	Manpur	4031900	Sondhi	1509	2115	1.324
15	Manpur	4031800	Hunrrahi	353	492	0.685
16	Manpur	4031400	Usri	4619	6147	3.205
17	Manpur	4031600	Panda Bigha	615	582	0.360
18	Manpur	4031500	Kemun Chak	248	289	0.428
19	Manpur	4031700	Bhuarpur	573	568	0.864
20	Manpur	4031300	Bara	1345	1590	1.718
21	Manpur	4037200	Bhadeji	1993	2526	1.658
22	Manpur	4037100	Bhadeja	3573	4797	2.281
23	Manpur	4036900	Bhusanda	1253	1290	0.881
24	Manpur	4036800	Nauranga	5872	11858	0.781
25	Manpur	4036600	Abgilla	4721	6759	0.814
26	Manpur	4036700	Mast Alipur	1434	2222	0.798
27	Manpur	4036400	Sikahar	1640	2245	0.678
28	Manpur	4036100	Majhauli	421	579	0.602
29	Manpur	4037000	Surheri	1673	2463	2.859
30	Manpur	4036200	Inguna	933	1302	1.221
31	Manpur	4034400	Baijal Tetariya	664	861	1.546
32	Manpur	4036300	Gandhar	3257	4449	2.935
33	Manpur	4034300	Rasulpur	2028	2099	2.312
34	Manpur	4034200	Lakhanpur	2508	3473	1.941
35	Manpur	4030900	Rasuna	1504	1595	0.624
36	Manpur	4031100	Nanhak Chak	298	367	0.326
37	Manpur	4031000	Lodipur	1028	1840	2.076
38	Manpur	4029700	Kukiasin	1054	1305	1.203
39	Manpur	4030400	Nawada	713	984	0.751
40	Manpur	4030300	Mahuar Kalan	1134	1441	0.582

41	Manpur	4030200	Mahuar	527	624	0.672
42	Manpur	4029800	Biju Bigha	404	532	0.785
43	Manpur	4032400	Berewa	1246	1570	1.511
44	Manpur	4034000	Burhgere	1796	2405	1.916
45	Manpur	4033900	Gaura	368	569	0.463
46	Manpur	4033800	Harli	571	611	0.554
47	Manpur	4036500	Kamalpur	473	818	0.715
48	Manpur	4034100	Mirzapur	471	634	0.573
49	Manpur	4029900	Khedarpura	1088	1120	1.211
50	Manpur	4035800	Sohaipur	1982	2483	3.413
51	Manpur	4035400	Bandhuwa	1937	2490	3.551
52	Manpur	4035900	Ganjas	458	617	0.899
53	Manpur	4036000	Masautha Kalan	596	701	1.337
54	Manpur	4035100	Masautha khurd	503	779	0.654
55	Manpur	4032300	Dudhaila	1091	1354	0.751
56	Manpur	4032200	Naudhariya	3481	4498	3.237
57	Manpur	4030100	Madarpur	321	726	0.831
58	Manpur	4032000	Nanauk	2013	3050	2.677

GAYA TOWN (78 VILLAGES) AREA SHARE = 131.43 SQKM.

59	Gaya town	4038300	Aurawan	3119	3966	5.248
60	Gaya town	4038700	Bemata	797	1141	1.441
61	Gaya town	4038600	Kusarhi	1274	1646	1.090
62	Gaya town	4038500	Paharpur	793	965	0.869
63	Gaya town	4038900	Sherpur	1566	1715	1.627
64	Gaya town	4038400	Pathraura	1074	1484	0.629
65	Gaya town	4044900	Dubahal	1941	2995	2.097
66	Gaya town	4039400	Nima	2204	3271	1.218
67	Gaya town	4039300	Ghuthia	2115	2527	2.740
68	Gaya town	4039200	Durbe	1501	1893	2.234
69	Gaya town	4039500	Kujap	2829	3981	2.420
70	Gaya town	4039600	Kujapi	5672	6680	2.856
71	Gaya town	4039100	English	695	664	0.492
72	Gaya town	4039000	Guiri	1875	1935	3.060
73	Gaya town	4040600	Kewali	2564	3192	3.404
74	Gaya town	4040500	Aradih	769	821	2.012
75	Gaya town	4039700	Basatpur	1073	1259	0.903
76	Gaya town	4040400	Chirajatanr	936	1151	1.578
77	Gaya town	4040000	Agraili	623	774	0.324
78	Gaya town	4039800	Neazipur	2480	3121	2.566
79	Gaya town	4039900	Kandi	3631	4237	3.830
80	Gaya town	4040100	Agraili	182	285	0.913
81	Gaya town	4040300	Chhattu Badh	1206	1810	0.973
82	Gaya town	4040200	Bitho	4440	5232	3.263
83	Gaya town	4040800	Bahadur Bigha	1410	1546	3.079
84	Gaya town	4042200	Channa	908	1277	1.412
85	Gaya town	4042300	Kotwan	1447	1703	0.884
86	Gaya town	4042400	Balna	745	1071	1.007
87	Gaya town	4040900	Kaladaspur	1391	1848	1.535
88	Gaya town	4042100	Chamardih	1187	2230	1.602

89	Gaya town	4041000	Shahbazpur	827	915	1.080
90	Gaya town	4041100	Nasirpur	929	889	1.054
91	Gaya town	4041900	Paihea	0	0	0.547
92	Gaya town	4042000	Sherpur	1491	1839	0.520
93	Gaya town	4041800	Kasma	1203	1437	1.789
94	Gaya town	4042600	Dhakain	883	1181	0.783
95	Gaya town	4042700	Dabbo	1338	1820	1.044
96	Gaya town	4042500	Murkatta	494	653	0.305
97	Gaya town	4042900	Bara	5223	7242	2.864
98	Gaya town	4044500	Takeya	1804	2191	0.922
99	Gaya town	4044300	Rasalpur	4150	5688	4.347
100	Gaya town	4044400	Gannu Bigha	1519	2207	0.842
101	Gaya town	4044600	Pir Bigha	799	992	0.978
102	Gaya town	4038200	Parsanwan	1685	2351	3.237
103	Gaya town	4045400	Dhansir	1233	1565	2.748
104	Gaya town	4045500	Gulni	436	570	0.502
105	Gaya town	4046000	Belthu	741	938	1.124
106	Gaya town	4046100	Khurar	725	895	1.342
107	Gaya town	4045600	Bishunganj	1273	1579	0.945
108	Gaya town	4045700	Chaurahar	1643	1774	2.037
109	Gaya town	4045900	Charowa	1194	1398	2.970
110	Gaya town	4045300	Hario	1291	1786	1.844
111	Gaya town	4045200	Qazi chak	1066	1367	0.811
112	Gaya town	4045000	Naili	1637	1944	0.346
113	Gaya town	4045100	Kusdihra	816	1053	1.190
114	Gaya town	4041200	Kirit Nawada	526	784	0.681
115	Gaya town	4041700	Kumar Bigha	335	451	0.390
116	Gaya town	4041300	Chatarghat	1258	1431	1.712
117	Gaya town	4041600	Sadipur	2570	3412	1.514
118	Gaya town	4041400	Katahri	1128	1532	1.017
119	Gaya town	4041500	Lakhno	886	1108	0.914
120	Gaya town	4043400	Hasanpur	740	798	0.510
121	Gaya town	4042800	Amraha	2683	3303	0.892
122	Gaya town	4043500	Utraundh	1606	2321	0.942
123	Gaya town	4043300	Chakand	6574	8804	2.833
124	Gaya town	4043100	Chamardih	1789	2323	0.904
125	Gaya town	4043600	Naugarh	901	1322	0.977
126	Gaya town	4043000	Gangapur	727	1342	1.331
127	Gaya town	4043700	Bhikhanpur	1512	1802	2.298
128	Gaya town	4044200	Panchu Bigha	1266	2014	1.517
129	Gaya town	4044100	Masnad Bigha	0	0	0.242
130	Gaya town	4044000	Siarbhuka	2191	2875	2.319
131	Gaya town	4043800	Mandanbigha	2885	3619	2.495
132	Gaya town	4045800	Ghazipur	371	775	1.115
133	Gaya town	4043200	Ranapur	707	628	0.337
134	Gaya town	4040700	Churi	2409	2977	4.329
135	Gaya town	4038000	Kesru Dharampur	3618	5071	5.116

PARAIYA (3 VILLAGES) AREA SHARE = 5.40 SQKM.

136	Paraiya	4048300	Inarpur	0	0	1.323
-----	---------	---------	---------	---	---	-------

137	Paraiya	4054500	Kastha	1813	2387	2.754
138	Paraiya	4054600	Paranpur	959	1166	2.103
139	Paraiya	4054400	Mohanpur	0	0	0.548

BODHGAYA (24 VILLAGES) AREA SHARE =35.16 SQKM.

140	Bodhgaya	4156500	Nawan	2299	2991	3.180
141	Bodhgaya	4156600	Bhaiya Bigha	753	948	1.193
142	Bodhgaya	4156700	Sijua	177	197	0.621
143	Bodhgaya	4156800	Bagdaha	1576	1888	1.111
144	Bodhgaya	4156900	Kachanpur	486	711	0.530
145	Bodhgaya	4157200	Kharanti	1085	1349	2.485
146	Bodhgaya	4159100	Guri	279	336	0.435
147	Bodhgaya	4159000	Sobha Bigha	330	419	0.350
148	Bodhgaya	4161800	Tirkha	658	864	1.132
149	Bodhgaya	4158300	Antiya	716	1122	0.941
150	Bodhgaya	4158400	Parahanda	1203	1445	0.981
151	Bodhgaya	4158500	Naudiha	299	412	0.454
152	Bodhgaya	4155400	Parsawan	1035	1206	0.532
153	Bodhgaya	4158600	Ilara	1720	2019	1.863
154	Bodhgaya	4158900	Bajraha	636	815	0.620
155	Bodhgaya	4158700	Ratnari	0	0	0.483
156	Bodhgaya	4158800	Dulra	593	727	0.950
157	Bodhgaya	4155300	Parsa Kalan	469	598	1.471
158	Bodhgaya	4155200	Dirawan	2438	2869	2.696
159	Bodhgaya	4155500	Bhusia	1157	1578	1.713
160	Bodhgaya	4155600	Barawan	616	810	0.942
161	Bodhgaya	4156100	Jamari	3528	4117	4.990
162	Bodhgaya	4159600	Shekha Bigha	C	99	0.565
163	Bodhgaya	4156200	Larpur	2040	2636	4.925
Total				797078	308.31	

बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-9 (अधिनियम की धारा-9) के अन्तर्गत प्रस्तावेत गया आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं आयोजना क्षेत्र की घोषणा हेतु बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति।

कार्यसूची की विवरणी -

- (1) गया, जिला मुख्यालय के साथ-साथ मगध प्रण्डल का भी प्रशासनिक मुख्यालय शहर है। यह ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण रथल है।
- (2) गया शहर एवं इसके आस-पास स्थित महत्वपूर्ण क्षेत्रों तथा इससे सटे शहरी क्षमता वाले ग्रामीण क्षेत्रों को समेकित एवं सुनियोजित रूप से विकसित करने के उद्देश्य से मास्टर प्लान तैयार करने के प्रयोजनीर्थ गया आयोजना क्षेत्र के सीमांकन का प्रारम्भिक प्रारूप, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के आलोक में, तैयार किया गया एवं इसके प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा सुझाव एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित किया गया। तदोपरान्त जिलाधिकारी के पत्रांक-2105, दिनांक-..... द्वारा भेजे गये उक्त प्रस्ताव पर बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति हेतु विचार किया जाना है।
- (3) इस आयोजना क्षेत्र का क्षेत्रफल 308.31 वर्ग किमी० है। जिसमें शहरी क्षेत्र का क्षेत्रफल 50.17 वर्ग किमी० एवं शेष ग्रामीण क्षेत्र का क्षेत्रफल 258.14 वर्ग किमी० है। इस आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत एक शहरी प्रशासनिक इकाई गया नगर निगम एवं गया टाउन सी०डी० ब्लॉक के 77, एवं बेलागंज सी०डी० ब्लॉक के 8, मानपुर सी.डी.ब्लॉक के 49, परैया सी.डी. ब्लॉक के 04 एवं बोधगया सी.डी. ब्लॉक के 24 राजस्व ग्राम सहित कुल 162 राजस्व. ग्राम शामिल हैं। इस आयोजना क्षेत्र की चौहदी निम्न है -

उत्तर - पूर्वी भाग में मानपुर सी०डी० ब्लॉक के ननौक, खेदरपुरा, गया सी०डी० ब्लॉक के सियारभुखा, मसनदबिगहा, मंदनबिगहा, बेलागंज सी०डी० ब्लॉक के आलम बिगहा, कचनपुर अगथू से होते हुए पश्चिम में गोबराहा तक।

दक्षिण - पूर्वी भाग में मानपुर सी०डी० ब्लॉक के सोहाईपुर, बोधगया सी०डी० ब्लॉक के लारपुर, मानपुर सी०डी० ब्लॉक के भदेजा, भदेजी, गया नगर निगम सीमा के दक्षिणी भाग से होते हुए बोधगया सी०डी० ब्लॉक के खरन्ती कचनपुर, सीजुआ से होते हुए भैया बिगहा, नौदीहा, परहन्दा, अन्तीया से होते हुए पश्चिम में तीरखा, सोभा बिगहा, गुरी तक।

पूरब - उत्तरी भाग में मानपुर सी०डी० ब्लॉक के नौधरीया, दूधैला, बेरेवा से होते हुए बारा, ननहक चक, लोदीपुर, हारली, गौरा, ब्रूहगेरे, बैजल तेतरीया, मसौथा खुर्द से होते हुए दक्षिण में वंदहुवा तक।

पश्चिम - उत्तरी भाग में बेलागंज सी०डी० ब्लॉक के लक्ष्मीपुर, गया सी०डी० ब्लॉक के छतरघाट, केसरू धर्मपुर, चुरी, परैया सी०डी० ब्लॉक के परनपुर, कारथा, गया सी०डी० ब्लॉक के औरावान, मंदनबिगहा, परैया सी०डी० ब्लॉक के मोहनपुर, इनारपुर, बोधगया सी०डी० ब्लॉक के जमारी, बारावान, भुसिया, दीरातन, पश्चिम कलन, ईलारा, शेखा बिगहा से होते हुए दक्षिण में बजराहा तक।

क्र० सं०	सी०डी० ब्लॉक	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
01	गया टाउन	77	131.43	1	50.17	181.6
02	बेलांगंज	8	13.68	0	0	13.68
03	मानपुर	49	72.47	0	0	72.47
04	परैया	4	5.4	0	0	5.4
05	बोधगया	24	35.16	0	0	35.16
		कुल	162	258.14	1	50.17
						308.31

- (4) इस आयोजना क्षेत्र का नक्शा अनुसूची-I, आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई एवं राजस्व ग्रामों का विवरण अनुसूची-II, एवं आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत पंचायत क्षेत्रों तथा उसके अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई एवं राजस्व ग्रामों की सूची (नाम, आबादी एवं क्षेत्रफल सहित) का विवरणी अनुसूची-III, के रूप में संलग्न है।
- (5) विकास योजनाओं की तैयारी के दौरान प्रशासनिक इकाइयों एवं आयोजना क्षेत्र के क्षेत्रफल में उपांतरण एवं फेरबदल की संभावना को ध्यान में रखते हुए आयोजना क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल में दस प्रतिशत तक उपांतरण के लिए नगर विकास एवं आवास दिभाग सक्षम प्राधिकार होगा।
- (6) आयोजना क्षेत्र की घोषणा के पश्चात् बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-11 के तहत् आयोजना प्राधिकार का गठन, नियमावली के नियम-11 के तहत् इस आयोजना क्षेत्र का विकास योजना, तैयार किया जा सकेगा।
- (7) प्रस्ताव है कि उपर्युक्त के संदर्भ में प्रस्तावित गया आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा हेतु अनुशंसा पर बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-9 (अधिनियम की धारा-9) के तहत् बोर्ड की सहमति प्रार्थित है।
- (8) बोर्ड की सहमति के उपरान्त गया आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-24.01.2017 को आयोजित बिहार शहरी आयोजना एवं विकास बोर्ड के पैचम बैठक की कार्यवाही –

उपस्थिति – अनुलग्नक के अनुसार।

- विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड, पटना द्वारा उपस्थित सदस्यों को स्वागत करते हुए निर्धारित कार्यावली प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया।
- (2). प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सभी सदस्यों को बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-9 के अधीन आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा से संबंधित प्रावधानों से अवगत कराया गया।
- (3). बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की पूर्व के बैठकों में लिये गये निर्णय एवं विभाग द्वारा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन के संबंध में जारी दिशा निदेश के आलोक में पाँचों शहरों के आयोजना क्षेत्र के सीमांकन हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया से विकास आयुक्त को अवगत कराया गया।
- (4). बैठक में गया, आरा, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ एवं सहरसा का आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा-पर-विचार विमर्श किया गया।
- (5). पाँचों शहरों के आयोजना क्षेत्रों के सीमांकन के प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण बोर्ड के समक्ष किया गया। प्रस्तुतीकरण के क्रम में वित्त आयुक्त द्वारा बताया गया कि मास्टर प्लान की लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत वृहत्त क्षेत्र को शामिल करने पर विचार किया जाए। उसके द्वारा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन के क्रम में जिलापदाधिकारी के कार्यालय को Technical Support दिए जाने के संबंध में पृच्छा की गयी। प्रधान सचिव नगर विकास द्वारा बताया गया कि आयोजना क्षेत्र के सीमांकन के लिए विभाग द्वारा दिशा-निदेश जारी किए गए थे। विभाग के तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा स्थानीय क्षेत्र का भ्रमण किया गया एवं विभाग द्वारा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन का प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया गया। जिला पदाधिकारी कार्यालय में संबंधित पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर इसे अन्तिम रूप देकर जिला पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित कर आम-जनों एवं हितधारकों से सुझाव एवं आपत्तियाँ प्राप्त कर इसे निष्पादित कर जिला पदाधिकारी द्वारा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन का प्रारूप विभाग को भेजा गया है, जिसपर इस बैठक में विचार किया जा रहा है। आयोजना क्षेत्र के सीमांकन में शहरी क्षेत्रों के अतिरिक्त शहरी क्षमता वाले ग्रामीण क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।
- (6). प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग द्वारा मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र के Density Mapping पर विचार विमर्श किया गया एवं पृच्छा गयी कि एक राजस्व गाँव के पुरे क्षेत्र अथवा इसके आंशिक भाग को शामिल किया गया है ? इस संबंध में बताया गया कि राजस्व गाँव के सम्पूर्ण क्षेत्र को आयोजना क्षेत्र को शामिल किया गया है।
- (7). विकास आयुक्त द्वारा किये गये पृच्छा के आलोक में नगर आयुक्त, नगर निगम बिहारशरीफ द्वारा बताया गया कि आयोजना क्षेत्र के प्रारूप का प्रकाशन समाचार पत्रों में किया गया एवं आमजनों एवं हितधारकों से सुझाव एवं आपत्तियाँ आमंत्रित किये गये। प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों को निष्पादित कर

विभाग द्वारा जारी दिशा निदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा प्रारूप अग्रेतर कारवाई हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा गया।

(8).

इस तरह की प्रक्रिया के अनुपालन की सूचना मुजफ्फरपुर नगर निगम के उपस्थित प्रतिनिधि एवं सहरसा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा भी दिया गया। यह आयोजना क्षेत्र में प्रस्ताव पर प्रस्तुतीकरण के दौरान विकास आयुक्त इसे औचित्यपूर्ण बताया गया।

(9).

(i) गया आयोजना क्षेत्र के घटक निम्न हैं -

क्र० सं०	सी०डी० ब्लॉक	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
O1	गया टाउन	77	131.43	1	50.17	181.6
O2	बेलांगंज	8	13.68	0	0	13.68
O3	मानपुर	49	72.47	0	0	72.47
O4	परैया	4	5.4	0	0	5.4
O5	बोधगया	24	35.16	0	0	35.16
कुल		162	258.14	1	50.17	308.31

(ii) आरा आयोजना क्षेत्र के घटक निम्न हैं -

क्र० सं०	सी०डी० ब्लॉक	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
O1	आरा	34	61.69	1	30.87	92.56
O2	कोइलवर	17	45.08	1	5.32	50.4
O3	उदवन्तनगर	17	31.66	0	0	31.66
कुल		68	138.43	2	36.19	174.62

(iii) मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र के घटक निम्न हैं -

क्र० सं०	सी०डी० ब्लॉक	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
O1	मुशहरी	115	94.95	01 (मुजफ्फरपुर)	32.32	127.27
O2	काँटी	43	64.54	1	14.76	79.30
O3	मङ्गवन	23	16.89	0	0	16.89
O4	कुड़हनी	18	25.25	0	0	25.25
O5	बोचहा	10	7.01	0	0	7.01
O6	मीनापुर	7	9.99	0	0	9.99
कुल		216	218.63	2	47.08	265.71

(iv) बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र के घटक निम्न हैं -

क्र०	सी०डी० ब्लॉक	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
O1	बिहार	19	24.06	1	20.32	44.38
O2	रहुई	11	8.77	0	0	8.77
O3	नूरसराय	7	5.08	0	0	5.08
कुल		37	37.91	1	20.32	58.23

(v) सहरसा आयोजना क्षेत्र के घटक निम्न हैं -

क्र० सं०	सी०डी० ब्लॉक / प्रशासनिक इकाई	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)		
01	सहरसा	0	0	1	35.89	35.89	
02	सत्तर कट्टैया	21	50.02	0	0	50.02	
03	कहरा	34	104.77	0	0	104.77	
04	सौर बाजार	24	103.51	0	0	103.51	
	कुल	79	258.3	1	35.89	294.19	

(10). पाँचों शहरों यथा गया आयोजना क्षेत्र के सीमांकन (कार्यसूची-5/1), आरा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन (कार्यसूची-5/2), मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र के सीमांकन (कार्यसूची-5/3), बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र के सीमांकन (कार्यसूची-5/4) एवं सहरसा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन (कार्यसूची-5/5) पर बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

(11). सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त पाँचों शहरों की सीमांकन एवं घोषणा हेतु बोर्ड की अनुशंसा राज्य सरकार को भेजी जाय धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह०/-

ह०/-

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग
सह-सदस्य सचिव

बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड, पटना।

(शिशिर सिंहा)

विकास आयुक्त, बिहार
सह-अध्यक्ष

बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड, पटना।

संचिका सं०-११/न०वि०मा०प्लान (बोर्ड)-०१/२०१४.....९/.....न०वि० एवं आ०वि०, दिनांक-९/२/१,
प्रतिलिपि-कृषि उत्पादन आयुक्त / प्रधान सचिव / सचिव-कृषि विभाग / प्रधान
प्रधान सचिव / सचिव-स्वास्थ्य विभाग / प्रधान सचिव / सचिव-योजना एवं विकास विभाग /
सचिव / सचिव-सचिव-पंचायती राज / प्रधान सचिव / सचिव-उद्योग विभाग / प्रधान
सचिव / सचिव-वित्त विभाग / प्रधान सचिव / सचिव-ग्रामीण विकास विभाग / प्रधान
सचिव / सचिव-शिक्षा विभाग / प्रधान सचिव / सचिव-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग /
सचिव / सचिव-जल संसाधन विभाग / प्रधान सचिव / सचिव-पर्यावरण और वन
प्रधान सचिव / सचिव-जल संसाधन विभाग / प्रधान सचिव / सचिव-भवन
विभाग / प्रधान सचिव / सचिव-पथ निर्माण विभाग / प्रधान सचिव / सचिव-लोक
निर्माण विभाग / प्रधान सचिव / सचिव-परिवहन विभाग / प्रधान सचिव / सचिव-लोक
स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / प्रधान सचिव / सचिव-आपदा प्रबन्धन विभाग / सचिव-विधि
सचिव-खाद्य एवं आपूर्ति (नागरिक) विभाग / सरकार द्वारा मनोनीत नगर एवं क्षेत्रीय योजना
के राष्ट्रीय प्रसिद्धि के दो विशेषज्ञ / महाधिवक्ता द्वारा मनोनीत वरीय विधि पदाधिकारी /
मुख्य नगर निवेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग / जिलाधिकारी, गया / आरा /

(४२)

मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ / सहरसा / नगर आयुक्त, नगर निगम गया / आरा /
मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद सहरसा को बोर्ड की
बैठक की कार्यवाही की प्रति सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन,

(18/9/17)

विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

संचिका सं०-११ / न०वि०मा०प्लान (बोर्ड)-०१ / २०१४..... १/- न०वि० एवं आ०वि०, दिनांक - १५/१२
प्रतिलिपि— विकास आयुक्त—सह—अध्यक्ष, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास
बोर्ड के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन,

(18/9/17)

विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

Om Sh

दिनांक-24.01.2017 को आयोजित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड के पंचम बैठक की कार्यावली -

अंक सं.	कार्य सूची
5/1	बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-9 (अधिनियम की धारा-9) के अन्तर्गत प्रस्तावित गया आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं आयोजना क्षेत्र की घोषणा हेतु बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति। (विस्तृत विवरण संलग्न)
5/2	बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-9 (अधिनियम की धारा-9) के अन्तर्गत प्रस्तावित आस आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं आयोजना क्षेत्र की घोषणा हेतु बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति। (विस्तृत विवरण संलग्न)
5/3	बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-9 (अधिनियम की धारा-9) के अन्तर्गत प्रस्तावित मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं आयोजना क्षेत्र की घोषणा हेतु बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति। (विस्तृत विवरण संलग्न)
5/4	बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-9 (अधिनियम की धारा-9) के अन्तर्गत प्रस्तावित बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं आयोजना क्षेत्र की घोषणा हेतु बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति। (विस्तृत विवरण संलग्न)
5/5	बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-9 (अधिनियम की धारा-9) के अन्तर्गत प्रस्तावित सहरसा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं आयोजना क्षेत्र की घोषणा हेतु बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति। (विस्तृत विवरण संलग्न)
5/6	माननीय अध्यक्ष की अनुमति से अन्यान्य।

संचिका सं०-11/न०वि०मा०प्लान (बोर्ड)-01/2014..... ५५ न०वि० एवं आ०वि०, दिनांक- २३/१/२०१८

प्रतिलिपि-कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव/सचिव-कृषि विभाग/प्रधान सचिव/सचिव-स्वारथ्य विभाग/प्रधान सचिव/सचिव/सचिव-योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव/सचिव-पंचायती राज/प्रधान सचिव/सचिव-उद्योग विभाग/प्रधान सचिव/सचिव-वित्त विभाग/प्रधान सचिव/सचिव-ग्रामीण विकास विभाग/प्रधान सचिव/सचिव-शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव/सचिव-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/प्रधान सचिव/सचिव-जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव/सचिव-पर्यावरण और वन विभाग/प्रधान सचिव/सचिव-पथ निर्माण विभाग/प्रधान सचिव/सचिव-भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव/सचिव-परिवहन विभाग/प्रधान सचिव/सचिव-लोक स्वारथ्य अभियंत्रण विभाग/प्रधान सचिव/सचिव-आपदा प्रबन्धन विभाग/सचिव-विधि विभाग/प्रधान सचिव/सचिव-पर्यटन विभाग/प्रधान सचिव/सचिव-युवा कला एवं संस्कृति विभाग/प्रधान सचिव/सचिव-ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव/सचिव-खाद्य एवं आपूर्ति (नागरिक) विभाग/सरकार द्वारा मनोनीत नगर एवं क्षेत्रीय योजना के राष्ट्रीय प्रसिद्धि के दो विशेषज्ञ/महाधिवक्ता द्वारा मनोनीत क्षेत्रीय विधि पदाधिकारी/मुख्य नगर निवेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग/नगर आयुक्त, नगर निगम गया/आरा/मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद सहरसा/जिलाधिकारी, गया/आरा/मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ/सहरसा द्वारा नामित पदाधिकारी को बोर्ड के बैठक में विचारण हेतु कार्यावली की प्रति अनुलग्नकों सहित उपलब्ध करायी जा रही है।

विश्वासमाजन,

23/1/2018
(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव-नगर विकास एवं आवास विभाग

-सह-सदस्य सचिव,

बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड,

बिहार, पटना।

आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा हेतु विचारणीय विन्दु एवं दिशा निदेश

- 1) राज्य के शहरों के योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने के लिए नगर निकाय एवं इससे सटे वृहत्तर क्षेत्रों का मास्टर प्लान तैयार करने के उद्देश्य से इन शहरों के आयोजना क्षेत्र की घोषणा बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 सह पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-9 के अन्तर्गत किया जाना है।
- 2) वर्णित नियमावली के नियम-9 के आलोक में –
- आयोजना क्षेत्र की सीमाओं को परिमितिः परिभाषित किया जाना है,
 - आयोजना क्षेत्र को 1:8000 के पैमाना पर जी०आई०एस० निर्देशांक (कोऑरडिनेट्स) के साथ मानचित्र पर स्पष्टः दर्शाया जाना है,
 - जहाँ तक संभव हो आयोजना क्षेत्र में सम्पूर्ण भूखण्ड संख्या (सर्वे संख्या) सम्मिलित किया जाना है। आयोजना क्षेत्र की चौहड़ी से विभाजित होने की स्थिति में भू-खण्ड को स्पष्ट ढंग से दर्शाया जायगा,
 - आयोजना क्षेत्र को गाँव की चौहड़ी, पंचायत की चौहड़ी, प्रखण्ड की चौहड़ी, अनुमण्डल की चौहड़ी और जिला की चौहड़ी द्वारा भी परिभाषित किया जा सकता है। जहाँ ये प्रशासनिक इकाइयाँ आयोजना क्षेत्र की चौहड़ी द्वारा विभाजित हो वहाँ उसे सुस्पष्ट ढंग से दर्शाया जाना है,
 - आयोजना क्षेत्र की परिभाषा के उपर्युक्त पद्धतियों में कोई विवाद होने की दशा में राजस्व भू-कर मानचित्र (कैड्स्ट्रॉल मैप) में विनिर्दिष्ट ब्यौरे अभिभावी होंगे।
- 3) बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 सह पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के अध्याय-III में आयोजना क्षेत्रों की घोषणा और आयोजना प्राधिकारों का गठन, अध्याय-IV में भूमि उपयोग मानचित्र एवं भूमि उपयोग रजिस्टर की तैयारी एवं अध्याय-V में विकास योजनाओं की तैयारी, विषयवस्तु और अनुमोदन से सम्बन्धित प्रावधान किये गए हैं।

आयोजना क्षेत्र का सीमांकन उक्त अधिनियम एवं नियमावली में वर्णित विकास योजना की विषयवस्तु के आलोक में जनगणना-2011 के आकड़ों पर आधारित कम से कम आगामी 20 वर्षों की प्रेक्षित आवादी एवं वांछित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है।

- 4) आयोजना क्षेत्र के सीमांकन में शहरी क्षेत्रों के अतिरिक्त इन शहरों के Urban Agglomerates, Growth in Peri Urban Areas, निकटवर्ती Census Towns, वैसे ग्रामीण क्षेत्र जो शहरीकरण की क्षमता रखते हों, ऐतिहासिक पर्यटन एवं धार्मिक महत्व के क्षेत्रों को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।
- 5) आयोजना क्षेत्र के सीमांकन पर विचार करने के क्रम में इन क्षेत्रों के Regional Connectivity (Location, Brief History of Town and its connectivity to Roads, Railways, Airways and Waterways), Geographical Features and Natural Settings (which may include physiography, climate, river and water, soils and vegetation, vulnerabilities etc.), Administrative Boundary (which may be at the level of Divisional, District, Sub-Divisional, Block, Municipal Area, Revenue Village.), Demographics and Socio-Economic Profile (which may include present and future distribution of Population.), Direction of Growth and Growth Rate (including population density, Urban expansion and Development in peripheral areas.), Ecological and Environmental Balance (which may include environmentally sensitive zones or areas), Industrial and Commercial Activities and Growth trends, Existing Land Cover (in proposed Planning Area), Infrastructure profile (projects of Infrastructure development, Township development) आदि पर ध्यान देते हुए प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है।
- 6) आयोजना क्षेत्र का सीमांकन, सम्बन्धित स्थानीय कार्यालयों—नगर निकाय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अभियंत्रण कार्यालयों, भू-राजस्व, निबंधन, उद्योग, सांख्यिकी, पंचायतीराज एवं अन्य हितधारकों आदि से विमर्श कर किया जा सकता है।

जिन शहरों का City Development Plan (CDP) पूर्व में नगर विकास एवं आवास विभाग के Support Programme for Urban Reform (SPUR) के अन्तर्गत तैयार किया गया था, उसे संदर्भित किया जा सकता है।

- 7) अन्य आयोजना क्षेत्रों के प्रस्ताव पर विचारण के क्रम में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड के द्वारा लिये गए निर्णय के आलोक में सम्बन्धित जिला पदाधिकारी, यह सुनिश्चित करेंगे कि –
- आयोजना क्षेत्र के प्रारूप का प्रकाशन कम से कम दो समाचार पत्रों में किया जाय,

Shri Q
Anuradha

(12)

(13)

(14)

(15)


- ii) प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र में सन्निहित रामी प्रशासनिक ईकाइयों यथा शहरी स्थानीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों को लिखित रूप से सूचना दी जाय,
- iii) दावे एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जाय,
- iv) प्राप्त हुए दावे एवं आपत्तियों को विधिवत अभिलेखित किया जाय,
- v) प्राप्त हुए दावे एवं आपत्तियों का निष्पादन कर स्पष्ट रूप से अनुशंसा बोर्ड के विचारण के लिए भेजा जाय।
- 8) आयोजना क्षेत्र की घोषणा के प्रस्ताव पर बोर्ड की सहमति के उपरान्त मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। आयोजना क्षेत्र की घोषणा के उपरान्त इन क्षेत्रों के Geographical Information System (GIS) आधारित विकास योजना (मास्टर प्लान) की तैयारी बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 सह पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के प्रावधानों एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत Urban and Regional Development Plans, Formulation and Implementation (URDPFI) Guidelines, 2014 के आलोक में तैयार किया जायगा। उक्त अधिनियम, नियमावली एवं URDPFI Guidelines की प्रति विभागीय वेबसाईट www.urbanbih.nic.in पर उपलब्ध है।
- 9) आयोजना क्षेत्र की घोषणा के साथ अथवा इसके उपरान्त उपान्त क्षेत्र की घोषणा, सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजना प्राधिकार का गठन, इन क्षेत्रों में बिहार भवन उपविधि, 2014 के प्रावधानों को आवश्यकतानुसार लागू करने तथा सुव्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अन्य अपेक्षित नियमानुकूल कारबाई की जा सकेगी।

(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

Amrit Lal Meena
07/07/2016.



- (3) The Board may nominate or co-opt any person/persons whom it may think necessary for the functioning of the Board.
- (4) The Board as a body corporate having perpetual succession and a common seal may sue in its corporate name.
- (5) The State Government may, if it thinks fit, appoint one of the members as the Vice-Chairman of the Planning Authority.

4. Functions and Powers of the Board. (Section 4 of the Act) -(1) Subject to the provisions of the Act and Rules, the functions of the Board shall be to advise the Government in matters relating to planning and development and use of rural and urban land in the State, to guide, direct and assist the Metropolitan Planning Committee or any other Planning Authority/(ies) constituted under the Act and to perform such other functions as the Government may, from time to time assign to the Board.

- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provision, the Board may and, if required by Government, shall :

 - (a) advise on the delineation of the Planning Area(s) for purposes of planned development and direct the preparation of Development Plan by the Planning Authorities;
 - (b) direct the preparation of one or more Development Plan(s) by the Planning Authorities or Metropolitan Planning Committees undertake, assist and advise on the coordination of planning and implementation of physical development programmes;
 - (c) undertake, assist and encourage the collection, maintenance, and publication of statistics, bulletins, and monographs and other such activities like seminars, training of personals, association with professional and research organization etc. on regional and urban planning;
 - (d) direct the preparations of one or more regional development plan, regional transportation plans, town development plans.
 - (e) direct the preparations of one or more regional natural resources and environmental conservation Plans.
 - (f) perform any other functions which is incidental, supplemental or consequential to any of the functions aforesaid or as decided by the Government.

- (3) The Board may exercise all such powers as may be necessary or expedient for the purpose of carrying out its functions under the Act.

5.

Appointment of Committee by the Board. (Section 5 of the Act) -(1) For assisting the Board in exercising its powers, discharging its duties or performing its functions, the Board may constitute one or more committees.

- (2) Any such committee or committees constituted under Sub-Section (1) shall consist of such members as may be specified by the Board and the Board may nominate one of the members as the Chairman of the committee.
- (3) The Board shall have the power to co-opt as a member of any Committee constituted under sub-section (1), any person having experience in matters of planning and development but, who is not a member of the Board.

6. Terms of office and Conditions of Service of Members of the Board. (Section 6 of the Act) - (1) The term of office and conditions of service of the members and employees of the Board shall be such as may be decided by the State Government, and they shall be entitled to receive such salaries or allowances or both as may be fixed by the Government. -
 (2) The control and restriction in relation to the appointment of officers and other employees to the Board shall be as per the State Civil Service Rules.
 (3) The Government, may if it thinks fit, terminate the appointment of any member of the Board at any time in case of misconduct by such member.
 (4) A member of the Board appointed according to Section 3(1)-(xxiv, xxv) may resign his membership of the Board by giving notice in writing to the Government and on such resignation, being accepted by the Government, he shall cease to be a member of the Board.
 (5) Any vacancy so created can be filled up by the Government.
7. Meetings of the Board. (Section 7 of the Act) - (1) The Board shall meet at such times and place as the Chairman thinks fit, not less than twice in a calendar year and shall make regulations for regulating the procedure and conduct for the transaction of its business at such meetings.
 (2) The Chairperson or in absence of the Chairperson, any member chosen by the members from amongst themselves, shall preside over the meeting of the Board.
 (3) All questions at the meeting of the Board shall be decided by a majority of votes of the members present and voting and in case of equality of votes, the person presiding shall have a casting vote.
8. Secretariat of the Board. (Section 8 of the Act) - (1) The office of the Town and Country Planning Organization located in the Urban Development and Housing Department, Government of Bihar shall act as the Secretariat of the Board.
 (2) The Government shall provide all requisite office space, personnel and financial assistance to the Board and its Secretariat.

CHAPTER-III

DECLARATION OF PLANNING AREAS AND CONSTITUTION OF PLANNING AUTHORITIES

9. Declaration of Planning Areas. (Section 9 of the Act) - (1) The Government may, for the purpose of securing planned development of regions or areas within the State, on advice of the Board, declare by notification, any such region or area or regions or areas, including a Metropolitan Area or area for development of new towns in the State to be a Planning Area, by whatsoever name known for the purposes of this Act.
 (2) The declaration of the planning area shall be widely published in at least two local newspapers having wide circulation as well as by public notice affixed at prominent places, Government offices, local authorities and public places situated within Planning Area. The same shall also be published in the official Government Website.

118
53

- (3) Every such notification shall precisely define the limits of such Planning Area. The planning area can be defined in one or a combination of the following manner:
- Planning Area shall be distinctly shown on map with GIS coordinates on the Scale 1:8000.
 - Planning Area shall as far as possible include full Plot Numbers (Survey No.). In a Situation where a plot is divided by the Boundary of the Planning Area, the same shall be distinctly shown.
 - The planning area can also be defined by village boundaries, Panchayat boundaries, block boundaries, sub-division boundaries and district boundaries. In a situation where these administrative units are divided by the Boundary of the Planning Area, the same shall be distinctly shown.
- In case of a dispute between the above modes of definition of a planning area, the details specified in the revenue cadastral map shall prevail.
- (4) The Government may declare, with reference to a Planning Area, its surrounding area, defined clearly and unambiguously, as its Peripheral Area. The Peripheral Area as delineated by the Government shall be distinctly shown on a map in one of the methods defined in rule 9 (3).
- Provided that extension to such area shall not exceed one km from any point at its boundary.
- (5) The Government may, after consultation with the Board and the concerned Planning Authorities, amalgamate two or more Planning Areas into one Planning Area, sub-divide Planning Area(s) into different Planning Areas and include such sub-divided areas in any other Planning Area.
- (6) The Government may, by notification, direct that all or any of the Rules, Regulations, orders, directions and powers made, issued, conferred and in force in any other Planning Area at the time, with such exceptions, adaptations and modifications, as may be considered necessary by the Government, shall apply to the area declared as amalgamated with or included in a Planning Area under this Section and such Rules, Regulations, bye-laws, orders, directions and powers shall forthwith apply to such Planning Area without further publication.
- (7) When Planning Areas are amalgamated or sub-divided or such sub-divided areas are included in other Planning Areas, the Government shall, after consultation with the Board, frame a scheme determining what portion of the balance of the funds shall vest in the Planning Authority (ies) concerned and in what manner the properties and liabilities of the Planning Authority (ies) shall be apportioned amongst them and on the scheme being notified, the fund, property and liabilities shall vest and be apportioned accordingly.
- (8) On or after the date of such notification of declaration of the Planning Area as well as Peripheral Area, the Government may impose one or all of the following restrictions:
- Government may impose specific conditions for any type of transaction or any use of land in any part lying within these areas for such period as it considers necessary for preparation and implementation of the Development Plan.

(117)

(51)

- b) The Government may impose a ban on the sale, transfer in any form or change of land use of a specific area or any part lying within these areas for such period as it considers necessary for preparation and implementation of the Development Plan.
10. **Power to Withdraw Planning Area from operation of this Act. (Section 10 of the Act)** - (1) The Government may, by notification, withdraw from the operation of any of the provisions of this Act, the whole or a part of any Planning Area declared. Such an Area shall be distinctly defined in one of the forms mentioned in rule 9(3). If any area of the Planning Area is withdrawn from the operation of any of the provisions of the Act, it shall be published in at least two local newspapers having wide circulation as well as by public notice affixed at prominent places, Government offices, local authorities and public places situated within the Planning Area. The same shall also be published in the official Government Website.
- (2) When a notification is issued under this section in respect of any Planning area hereunder:
- (a) The relevant provisions of this Act and all notifications, Rules and regulations, orders, directions and powers issued, made or conferred hereunder shall cease to apply to the said area.
- (b) The Government shall, after consulting the Board and the Local Authority (ies) concerned, frame a scheme determining the portion of the balance of the fund of the Planning Authority that shall vest in the Government and the Local Authority (ies) concerned and in what manner the properties and liabilities of the Planning Authority shall be apportioned between the Government and the Local Authority (ies) and on the scheme being notified, the fund, property and liabilities of the Planning Authority shall vest and be apportioned accordingly.
11. **Constitution of Planning Authority. (Section 11 of the Act)** - (1) Any time after the declaration of a Planning Area under Section-9, the Government shall, by notification, constitute an authority for such area to be called the Planning Authority of that Planning Area and it shall be known by such name as the Government may determine.
- (2) Every Planning Authority constituted under sub-section (1) shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property, both moveable and immovable, to contract, and by the said name sue and be sued.
- (3) The planning authority shall consist of the following members namely:
- (i) A Chairman of the rank of not less than Secretary to the Government or equivalent to be appointed by the State Government.
- (ii) The Chief Town Planner of Town and Country Planning Organization or his representative, ex-officio.
- (iii) All District Magistrates of the concerned district
- (iv) All Municipal Commissioners/Executive officers of the Urban Local Bodies not exceeding four.
- (v) Such officials of the State Government to be nominated by the State Government not exceeding five; ex-officio; who represent departments.